



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16037

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 299/2026

राम दुलार एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : नवीन कुमार श्रीवास्तव, प्रतिभा जासवाल

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सबसे पहले, रिट याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने और 3 को निर्देश देने के लिए चुनौती दी गई है कि वह दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 16.06.2008/17.06.2008 के अनुसरण में स्वीपर (सफाईकर्मी) के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करे। नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, जैसा कि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका का ठीक से गठन नहीं किया गया है।

2. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिये जाने के कारण **खारिज** की जाती है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!